

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

A 6/1

तहसील अधिकारी—

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

37 / प्रा.पत्र / 2019

13.02.2019

03.03.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
बून्दी —प्रार्थी

—बनाम—

श्री किशन लाल गुर्जर पुत्र श्री हजारी लाल गुर्जर, मालिक, मैसर्स चान्दीजा फ्रेश दुध
डेयरी, माटुन्दा रोड, बून्दी। निवासी—संगावदा, पंचायत लालपुरा, तहसील व जिला बून्दी।
—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से—श्री रामगोपाल गुर्जर एड0

—: निर्णय :-

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में
निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैं:—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी
का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित
अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक
26.07.2011 एवं क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/470 दिनांक
09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये
अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/
पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य
क्षेत्र, जिला बून्दी आवंटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक
एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी
जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2018 को समय 11:30 ए.एम. पर
नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु माटुन्दा रोड, बून्दी स्थित फर्म चान्दीजा फ्रेश दुध
डेयरी पर पहुंचे। वहां पर श्री किशनलाल गुर्जर पुत्र श्री हजारीलाल गुर्जर, विक्रेता

A 6h

- मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ घी, स्टील की टंकी में लगभग 60 किलोग्राम उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ घी में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, स्टील के चमचे से हिलामिलाकर, एकरूपकर, तुलवाकर, 800 ग्राम घी, एक साफ, सुखी व स्वच्छ स्टील भगोनी में वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 360/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।
 4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी को पुनः स्टील के चमचे से एकरूप कर चार कांच की साफ, सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी में ढक्कन लगाकर एयरटाइट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-1269 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ. जी.एल. मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-1269 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
 5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
 6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/243 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 514/एफएसएसए/एक्ट/2018/540 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया घी, स्वरस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।
 7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/13 दिनांक 29.01.2019 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में घी के नमूने की जांच रिपोर्ट में बी.आर. रिडिंग 43.88 पायी गयी है जो कि थोड़ी सी ज्यादा है एवं रिचर्ट वेल्यू 23.07 पायी गयी है जो 26 से थोड़ी कम है। नमूने में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं पाया गया है।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाप्त की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा बवक्त दोहराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि प्रकरण में घी के नमूने की जांच रिपोर्ट में बी.आर. रिडिंग 43.88 पायी गयी है जो कि थोड़ी सी ज्यादा है एवं रिचर्ट वेल्यू 23.07 पायी गयी है जो 26 से थोड़ी कम है। नमूने में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं पाया गया है। अप्रार्थी छोटा व्यापारी है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय पारित करने का श्रम करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना घी खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ घी का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्ध होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
बून्दी (राज०)